न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 14/प्रा.पत्र/2019 (GCMS No. 2019/00014)	01.01.2019	05.02.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मृतक स्व0 मोहनलाल आ. शिवनारायण जाति बैरागी, निवासी ऐबरा (मृतक कायम मुकामान) —

1. छोटीबाई पत्नी मोहनलाल जाति बैरागी,
   निवासी ग्राम ऐबरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी
2. नन्दकिशोर आ. मोहनलाल जाति बैरागी,
   निवासी ग्राम ऐबरा, तहसील रायथल, जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री सगीर मोहम्मद, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मोहनलाल आ. शिवनारायण दास को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 893 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका में क्रमांक 14/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2019/00014 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2024 को पेश किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, वर्तमान में मौके पर गिर्राज, लक्ष्मण पि. मांगीलाल व महावीर पि. छीताराम, मनोज पि. जगन्नाथ कौम मीना का मौके पर कब्जा है। इस प्रकार आवंटी एवं वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवंटन तिथि को आवंटन प्रकिया में आवंटन अधिकारी महोदय, विधायक महोदय, विकास अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, सीएडी के अफसरान, सरपंच साहब व अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हाजिर थे और नियमानुसार ही प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी प्रारम्भ से ही उक्त जमीन पर कब्जाधारी रहा है एवं सदभावी कृषक के रूप में काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा गिर्राज, लक्ष्मण पि0 मांगीलाल, महावीर पिता छीतरमल, मनोज पिता जगन्नाथ कौम मीणा से मिलीभगत करके उनको नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन के पश्चात 50 वर्षो की अवधि गुजर जाने के बाद आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवंटी ने समस्त शर्तो की पालना की है। इस कारण से आवंटी कई वर्षो पूर्व से ही आवंटी वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक बन चुका है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि मोहनलाल आ. शिवनारायण दास जाति बैरागी निवासी ग्राम ऐबरा को दिनांक 04.11.1977 को भूमि खसरा संख्या 893 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त

जिला कलेक्टर, बून्दी

किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम ऐबरा की नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 893 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा पर मोहनलाल वल्द शिवनारायण दास कौम बैरागी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है, अपितु वर्तमान में मौके पर गिर्राज, लक्ष्मण पि. मांगीलाल व महावीर पि. छीताराम, मनोज पि. जगन्नाथ कौम मीना का मौके पर कब्जा है।

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से आवंटी एवं वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी एवं वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी मोहनलाल आ. शिवनारायण दास जाति बैरागी निवासी ग्राम ऐबरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 893 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा दिनांक 04.11.1977 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिकमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी